राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–10 (लो0सू0अ0) / 2023–24

श्री खुशवंत कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना, चैम्बर नं.–37, गेट नं.–5, पटना उच्च न्यायालय, पटना बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी–सह–परीक्षा नियंत्रक, पटना विश्वविद्यालय, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
17.04.2023	श्री खुशवंत कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना, चैम्बर नं.–37, गेट नं.–5, पटना उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से एक द्वितीय अपील आवेदन दिनांक–20.03.2023 इस कार्यालय में दिनांक–13.04.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता श्री खुशवंत कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–23.01.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–परीक्षा नियंत्रक, पटना विश्वविद्यालय, पटना को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ठ होने के कारण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष द्वितीय अपील दायर किया है। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा आवेदक श्री कुमार को प्रथम अपीलीय प्राधिकार का नाम / पता भी प्रपत्र 'ध' में Prof. Anil Kumar, Dean, Students' Welfare, Patna University, Patna संसूचित किया है, परंतु यह स्पष्ट नही है कि इन्होंने प्रथम अपील दायर किया अथवा नही। विदित हो कि बिहार राज्य के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना पदाधिकारी / प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में दायर किया जाना है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक– 23.01.2023 की छाया–प्रति भी संलग्न है। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एव प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता श्री खुशवंत कुमार द्वारा दायर द्वितीय अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबधित को सूचित करें। 17/4/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	